न्यायालय नायब तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार मीणा RTS सरदारशहर

प्र0सं. 01/2022 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91

सरकार **बनाम** साहबराम पुत्र श्री हुक्माराम जाति जाट निवासी मोरझण्ड खारी जिला श्रीगंगानगर हाल– रामनगर बास सरदारशहर।

:–निर्णयः–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बीकमसरा ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि **साहबराम पुत्र श्री हुक्माराम जाति जाट निवासी मोरझण्ड खारी जिला श्रीगंगानगर, हाल– रामनगर बास सरदारशहर** द्वारा रोही मौजा बीकमसरा के खसरा नं0 816 तादादी 3.85 हक्टे. गैर मुमकिन रास्ता में से 0.22 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से गेहूं व सरसों की काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की गयी।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया।नोटिस की अप्रार्थी के पुत्र को विधिवत तामील करवाई गयी। तामील की प्रति पत्रावली के सलंग्न है। नोटिस के प्रत्युतर में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर प्रसाद नेहरा ने वकालतनाम और जवाब नोटिस प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का रास्ता अवरूद्व नहीं कर रखा है तथा यह भी अंकित किया कि अप्रार्थी के खेत में वर्तमान में फसल काश्त की हुयी है जिसके नष्ट हो जाने से अप्रार्थी को वितीय नुकसान हो जायेगा। अप्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी अंकित किया कि अप्रार्थी द्वारा 30–40 फीट रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध करवा रखा है। अप्रार्थी ने साक्ष्य स्वरूप चालू रास्ते के छायाचित्र प्रस्तुत किये। इसी दौरान प्रकरण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू के यहां सतर्कता में दर्ज किया जाकर अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.28 16:00:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने न्याय हित में अप्रार्थी के जवाब की सत्यता की पुष्टि हेतु स्वयं मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के समय की स्थिति से हल्का पटवारी रिपोर्ट सही प्रकट होती है। अप्रार्थी ने खसरा नं. 816 तादादी 3.85 हैक्टे. मे से 0.22 हैक्टे. भूमि पर फसल काश्त कर रखी है तथा उक्त गैर मुमकिन रास्ते की जगह को परिवर्तित कर उतरी सींव के सहारे सहारे नया रास्ता कायम कर रखा है। वस्तुतः अप्रार्थी ने आवागमन हेतु रास्ता तो उपलब्ध

नायब तहसीलदार
सरदारशहर (चूरू)

..ा रखा है लेकिन कटाणी रास्ते का स्थान परिवर्तित करने का किसी भी ..ातेदार/काश्तकार को कोई विधिक अधिकार नहीं है।

पटवारी हल्का की रिपोर्ट और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सारहीन जवाव व मौका निरीक्षण के समय की स्थिति से यह स्वतः सिद्ध होता है कि अप्रार्थी ने खसरा नं. 816 तादादी 3.85 हैक्टे गै.मु.रास्ते की भूमि में से 0.22 हैक्टे भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कटाणी रास्ते को वदलकर अन्यत्र स्थान पर कायम कर देना न्यायोचित नहीं है जिसके फलस्वरूप अप्रार्थी के विरूद्व नियमानुसार कठोरतम निर्णय पारित किया जाना उचित है जिससे भविष्य में कोई खातेदार कटाणी रास्ते को दूसरी जगह परिवर्तित न कर पाये।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू.अ.नि. की जांच रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण के समय की स्थिति का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का रोही मौजा बीकमसरा के ख.नं. 816 तादादी 3.85 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 0.22 हैक्टे. भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्याय हित में अप्रार्थी के विरूद्व नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है जिससे भविष्य में कोई अतिक्रमी राजकीय भूमि पर अतिचार न कर सके।

अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अप्रार्थी पर आरोपित दोष सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को भू.राजस्व का 50 गुणा अर्थात् 06 रू. तावान के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। हल्का पटवारी तावान राशि कायम कर अप्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायें। भू.अ.नि. वृत बंधनाउ उतरादा को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खड़ी फसल को कुर्क कर बहक सरकार लिया जाकर निलामी की कार्यवाही कर निलामी राशि राजकोष में [illegible] जावें तथा अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर [illegible] दिवस में पेश करे।

पत्रावली निर्णय में शुमार की [illegible] बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(पवन कुमार मीणा)
नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.28 16:00:50 IST
Reason: SelfAttested